भारत ... गैर न्यायिक

एक सौ रु.

Rs. 100

रु. 10

ONE

HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

2010 137443

फोटो प्रमाणित कर्ता —
अमरेन्द्र कुमार यादव एडवोकेट

— न्यास पत्र

मैं ईश्वरी कुमार द्विवेदी पुत्र श्री उदयभान द्विवेदी निवासी ग्राम गोपीनाथपुर पोस्ट बरुआ परगना चांदा तहसील लम्भुआ जिला सुल्तानपुर का हूँ एक मानव होने के नाते मैंने परोपकार एवं समाजसेवा की भावना से प्रेरित होकर संस्थापक / संरक्षक की हैसियत से एक सामाजिक एवं शैक्षणिक ट्रस्ट का गठन करने का निश्चय किया है मैं इस ट्रस्ट का नाम "श्री जीवसेवा ट्रस्ट" रख रहा हूँ यदि इस नाम से किसी अन्य संस्थान से एकरूपता हो रहा है तो यह महज संयोग होगा न कि किसी का अनुसरण होगा —

इस ट्रस्ट के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं —

ह —
ईश्वरी कुमार द्विवेदी

ईश्वरी कुमार द्विवेदी

गो० संजय कुमार ... S/o राजेन्द्र ... ग्राम व पो० - परसड़ा जिला सुल्तानपुर

गो० मनोज कुमार मिश्र S/o श्री रमाकान्त मिश्र ग्राम व पो० धीरसाये जिला सुल्तानपुर

... उप निबंधक लम्भुआ

3/
100

2 MAY 2008

संजय कुमार दुबे

मनोज कुमार मिश्रा

भारतीय [illegible] न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA NO[illegible] [illegible]DICIAL

प्रदेश UTTAR PRADESH C 304671

१- शिक्षा के उत्तरोत्तर वि[illegible] हेतु प्राइमरी स्तर से लेकर इण्टरमीडिएट आदि [illegible]लेज पर स्नातकोत्तर स्तर के लिए शिक्षण प्रशिक्षण [illegible]तु पुस्तकालय वाचनालय व स्कूल कॉलेज आदि की [illegible]पना व संचालन करना —

२- संस्था के कार्यक्षेत्र में महिला कल्याण हेतु सिलाई, कढ़ाई बुनाई, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों, नारी निकेतनों शिल्प कला केन्द्र, आंगनबाड़ी, बा[illegible]ड़ी केन्द्रों की स्थापना करना संचालन करना व [illegible]कार का प्रशिक्षण देना ——.

३- अनाथ बच्चों, विकलां[illegible] महिलाओं, नवयुवकों को सभी प्रकार के प्रशिक्षण दे[illegible]वलम्बी बनाना ——

४- उन योजनाओं का सं[illegible]लन करना जिससे ग्रामीण महिलाओं, बच्चों, [illegible]वकों का आर्थिक, सामाजिक शैक्षणिक उत्थान करने [illegible]तु व्यावसायिक प्रशिक्षण देना तथा उनको प्रशिक्षित [illegible] स्वावलम्बी बनाना ——.

५- उत्तर प्रदेश खादी ग्रा[illegible]ग बोर्ड व खादी कमीशन तथा सरकार एवं अन्य स्रो[illegible] से सहायता प्राप्त करके —— ग्रामोद्योगों को चलाना ————

[illegible]

[illegible]

[illegible] तिवारी (कुमारी)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

कार्यालय [illegible]

[illegible]

भारतीय न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

304672

५- हरिजन, निर्बल वर्गो, पिछड़ों, ग्रामीणों आदि के लिए सरकार द्वारा चलाई गयी योजनाओं द्वारा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग करना —

६- सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा सरकार की नीतियों का ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार प्रसार करना —

७- शारीरिक रूप से विकलांग तथा मानसिक विकलांग मूक, अपाहिज एवं संक्रामक रोगों से ग्रस्त निराश्रित लोगों, बच्चों / युवकों / प्रौढ़ों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिक्षा, चिकित्सा एवं व्यावसायिक शिक्षा निःशुल्क एवं पुनर्वास की व्यवस्था करना —

८- आर॰ सी॰ एच॰ कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सम्बन्धी कार्यक्रमों को सम्पादित करना, निःशुल्क चैरिटेबुल अस्पताल, परिवार कल्याण परामर्श केन्द्र व जच्चा बच्चा केन्द्र की व्यवस्था करना, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच व उपचार करना, भारतीय चिकित्सा पद्धति का संरक्षण तथा प्रचार-प्रसार करना —

९- —

शिवानी कुमार तिवारी

शिवानी कुमार तिवारी

तिवारी (अध्यक्ष)

निदेशक

38/63 [illegible]

[illegible]

शिव [illegible]

2 M[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 304673

10- वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों, [illegible] उन्मूलन, सड़क सुरक्षा, उपभोक्ता संरक्षण, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन दहेज-उन्मूलन, मद्य निषेध, महिलाओं को समानता का अधिकार पंचायतीराज भारत सरकार की योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिये जागरूकता कार्यक्रम तथा सम्बन्धित अन्य कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना ———

11- खाद्य प्रसंस्करण एवं फसल संरक्षण के कार्यक्रमों को संचालित करना तथा केन्द्र सरकार की कृषि नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए कार्य करना, कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना, कृषक प्रशिक्षण केन्द्र एवं कृषि उत्पादन तथा विपणन के क्षेत्र में प्रशिक्षण का कार्य करना ———

12- बढ़ती वेश्यावृत्ति को रोकने का प्रयास करना, इस कार्य में लिप्त लोगों के पुनर्वास, शिक्षण-प्रशिक्षण की व्यवस्था करना तथा इसके प्रति लोगों को जागरूक करने का कार्य करना —

13- पर्यावरण सुरक्षा हेतु वृक्षारोपण, ऊसर भूमि सुधार, शौचालय जनजागरण, सार्वजनिक [illegible] व्यवस्था, स्वच्छ जल आपूर्ति आदि कार्यक्रमों का प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा प्रचार प्रसार का कार्य करना ———

[signature] [signature]

[illegible] के० तिवारी ([illegible])
उप निबंधक [illegible]

2 MAR 2008

[illegible]

[illegible]

कार्यालय [illegible]

[illegible]

भारतीय [illegible] न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

25 MAR 2008

Rs.50

INDIA [illegible] JUDICIAL

प्रदेश UTTAR PRADESH

C 302674

14- खादी ग्रामोद्योग [illegible] द्वारा ग्रामीण कुटीर उद्योग की स्थापना करके [illegible] रोजगार का अवसर प्रदान करना तथा [illegible] स्वावलम्बन एवं आत्म-निर्भरता की भावना उत्पन्न करते हुए उन्हें खादी ग्रामोद्योग बोर्ड/आयोग की [illegible] योजनाओं के विपणन, प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण केन्द्र [illegible] [illegible] तथा समस्त आय को संस्था के उद्देश्य [illegible] [illegible] हेतु कार्यों में व्यय करना ———

15- लोगों को आत्म रक्षण के प्रति प्रेरित करना तथा स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध उपलब्ध कराने में सहयोग करना तथा इसके लिए राष्ट्रीय महिला कोष, नाबार्ड सिडबी आदि से ऋण/अनुदान प्राप्त [illegible] करना ———

16- पशु उत्पीड़न रोकना [illegible] [illegible] निःशुल्क चिकित्सा, पुनर्वास की व्यवस्था करना, [illegible] हो रहे जीव-जन्तुओं के संवर्धन व संरक्षण हेतु प्रयास/अनुसंधान करना ———

17- मत्स्य पालन विभाग [illegible] समाज कल्याण विभाग से अनुदान एवं सहायता प्राप्त करना ———

8 ———

केवली कुमार त्रिवेदी

केवली कुमार त्रिवेदी

[illegible] के सिंह (अध्यक्ष)

कृषि विकास संस्था

[illegible]

भारत[illegible] [illegible]न्यायिक

पचास रुपये

रु.5[illegible]

FIFTY RUPEES

2[illegible] 2008

Rs.50

INDI[illegible] [illegible]DICIAL

[illegible] प्रदेश UTTAR PRAD[illegible]

C 304674

१४, ग्रामीण [illegible] द्वारा ग्रामीण कुटीर उद्योग की स्थापना [illegible] रोजगार का अवसर प्रदान करना तथा [illegible] स्वावलम्बन एवं आत्म-निर्भरता की भावना [illegible] करते हुए उन्हें खादीग्रामोद्योग बोर्ड/आयोग की [illegible] योजनाओं के शिक्षण, प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण [illegible] तथा समस्त आय को संस्था के [illegible] हेतुगत कार्यों में व्यय करना —

१५- लोगों को अल्प ऋण [illegible] प्रोत्साहित करना तथा स्वरोजगार के लिए ऋण [illegible] उपलब्ध कराने में सहयोग करना तथा इसके लिए [illegible] महिला कोष, नाबार्ड सिडबी आदि से ऋण/अनुदान प्राप्त [illegible] करना —

१६, पशु उत्पीड़न [illegible] निःशुल्क चिकित्सा, पुनर्वास की व्यवस्था करना, [illegible] जीव-जन्तुओं के संवर्धन व संरक्षण हेतु प्रयास/[illegible] करना —

१७- मत्स्य पालन विभाग/[illegible] समाज कल्याण विभाग से अनुदान एवं सहायता प्राप्त करना —

देवकी नन्दन सिंह

देवकी नन्दन सिंह

[illegible] (सेवानि०)

[illegible]

2 MAR 2008

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

INDI[illegible] [illegible]DICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 304675

18- विज्ञान का जीवन में [illegible] में प्रति आत्मसात करने को आवश्यक बनाना, तकनीक पर आ[illegible] कम लागत के भवन/आवासीय भवन/दैनिक उप[illegible] की वस्तुओं से सम्बन्धित प्रशिक्षण की व्यवस्था व अनुसंधान करना तथा तकनीकी स्थानान्तरण तथा [illegible] प्रसार की व्यवस्था करना —

19- आदिवासी, पिछड़ा वर्ग [illegible] अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति-जनजाति तथा धार्[illegible] के सामाजिक, शैक्षिक आर्थिक सांस्कृतिक विकास की [illegible] व्यवस्था करना —

20- केन्द्र/राज्य के मंत्राल[illegible]/विभागों तथा उनके सम्बन्धित विभागों के कार्यक्रमों को [illegible] क्रियान्वित करना उनके विभागों/अनुभागों द्वारा चलायी [illegible] रही योजनाओं को सही लाभार्थी तक पहुँचाने के लिए [illegible] का कार्य करना —

21- विद्यालय, वाचनालय, [illegible] गुरुकुल औषधालय, अनाथालय, व्यायामशाला, गृह उद्[illegible] शाला इत्यादि का निर्माण करना-

22- युवाओं का [illegible] [illegible]ारिक, सांस्कृतिक स्वास्थ्य शैक्षिक तथा स्वरोजगार [illegible] करना तथा बच्चों/युवाओं को राष्ट्र की मुख्य धारा [illegible] जोड़ना तथा उन्हें समाज में आत्मनिर्भर स्वावलम्बन का पाठ पढ़ाना —

[illegible] [illegible]

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

UTTAR PRADESH

304676

13. राष्ट्रीय मेला, प्रदर्शनी, [illegible] /कार्यशाला कार्यक्रम, सांस्कृतिक, औद्योगिक प्रदर्शन, विभिन्न [illegible] कर्मों के लिए पुरस्कार की व्यवस्था का आयोजन करना।

14. [illegible] लुप्तप्राय सांस्कृतिक [illegible] को बढ़ावा देना, लोक नृत्य, लोकगीत, आल्हा, नौटंकी आदि को विलुप्त हो रही परम्परा को पुनः जागृत करना, [illegible], गायन, संगीत आदि के प्रचार-प्रसार प्रशिक्षण व अनुसंधान का कार्य करना।

15. संस्था का मुख्य उद्देश्य [illegible] लोकोपकारी (चैरिटेबुल) संस्था के रूप में सम्पूर्ण कार्यों [illegible] संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति/सामाजिक कार्यों पर व्यय करना [illegible] उद्देश्य पूर्ति हेतु प्रतिष्ठानों केन्द्र/राज्य सरकारों [illegible] से अनुदान तथा चल-अचल सम्पत्ति [illegible] प्राप्त करना तथा [illegible] संस्था की उद्देश्य पूर्ति हेतु करना है।

16. कार्य क्षेत्र में निवास [illegible] ग्रामीण विकास के क्रियान्वयन हेतु श्रमिक/महिला/दलित/[illegible] आदिवासी समुदाय/युवकों व बच्चों के शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, [illegible] शारीरिक, वैज्ञानिक, सर्वांगीण रचनात्मक विकास करना [illegible] हेतु विभिन्न कार्यक्रम की संस्था की रजिस्ट्रार/[illegible] चलाना तथा [illegible] चलाना।

है।

(Signatures)

[illegible]

[illegible] उप निबंधक [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2

भारतीय न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 304677

16- व्यावसायिक एवं कृषि शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए केन्द्र विद्या तथा प्रयोगशाला एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करना — ——

17- वाटरशेड (जल संग्रहण क्षेत्र) विकास की प्रक्रिया के माध्यम से अकृषि भूमि एवं जल संरक्षण विकास कार्यों का सम्पादन — शासन/भारत सरकार के सहयोग से क्रियान्वित करना —

19- गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के विकास एवं आत्मनिर्भर बनाने हेतु विकास कार्यों का क्रियान्वयन करना -

20- संस्था का उद्देश्य सरकारी / गैर सरकारी संस्थाओं जैसे सड़क, इंदिरा आवास, सरकारी [illegible] कार्यालय या सरकारी ऋण/ अनुदान के माध्यम से निर्माण, संरक्षण, रख-रखाव तथा सुरक्षा सम्बन्धी कार्य करना — — ——

21- सामुदायिक स्वास्थ्य सम्बन्धी गतिविधियों का संचालन-

22- महिला सशक्तीकरण [illegible] कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना —

23- शिक्षा के प्रचार-प्रसार हेतु तकनीकी, व्यावसायिक व विधि शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा संचालन की व्यवस्था करना -

24- स्वास्थ्य, स्वच्छता और परिवार कल्याण के कार्यक्रम का संचालन -

25- कृषि एवं पर्यावरण विकास हेतु कार्य करना — ——

26- ग्रामीण विकास, स्वच्छता [illegible] पेयजल सम्बन्धी कार्यक्रम का विकास और संचालन करना ——

27- शिक्षित बेरोजगारों के लिए व्यावसायिक एवं उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करना ——

[illegible signature] [illegible signature]

उप निबंधक रामपुर

दस रुपये रु.1[illegible]

TEN RUPEES

Rs.10

IND[illegible] [illegible]ICIAL

स्पर्श जन सेवा नागरिक ट्र[illegible] के संस्थापक/संरक्षक की हैसियत से 5000/पाँच हजार रुपया इस ट्रस्ट के फण्ड के रूप में प्रदान करता हूँ तथा आ[illegible] करता हूँ कि अन्य सहयोगी ट्रस्टीगण इस ट्रस्ट के [illegible]श्यों की अभिपूर्ति हेतु इस जनसेवी कार्यों को सहयोग करते रहेंगे ——

उपरोक्त ट्रस्ट का मुख्यालय ग्राम गोपीनाथपुर पोस्ट बरुआ परगना [illegible] तहसील लम्भुआ जिला सुलतानपुर तथा कार्यालय [illegible] मकान नम्बर 250 ई/1 निरालानगर सुलतानपुर होगा ——

स्पर्श जन सेवा "नागरिक [illegible]" में एक मुख्य प्रबंध ट्रस्टी व दो सहायक ट्रस्टी होंगे मुख्य प्रबंध ट्रस्टी संस्थान के संस्थापक होंगे कालान्तर में मुख्य प्रबंध ट्रस्टी संस्थापक के वंश का ही सुयोग्य व्यक्ति होगा अस्वस्थ अविवेक, मृत्यु स्वेच्छा से त्यागपत्र देने एवं ट्रस्ट के हित के विरुद्ध कार्य करने पर बहुमत के आधार पर एवं संस्थापक ट्रस्टी की सहमति से ट्रस्टी का परिवर्तन किया जा सकता है महत्वपूर्ण निर्णय बहुमत के आधार पर होंगे स्थापित ट्रस्ट

[illegible] तिवारी (एडवोकेट)
उप निबंधक लम्भुआ

दस रुपये

रु.1[illegible]

TEN RUPEES

Rs.10

INDI[illegible] [illegible]FICIAL

स्पर्श जन सेवा नामक ट्रस्ट के संस्थापक/संरक्षक की हैसियत से ५०००/पांच हजार रुपया इस ट्रस्ट के फण्ड के रूप में प्रदान करता हूं तथा आशा करता हूं कि अन्य सहयोगी ट्रस्टीगण इस ट्रस्ट के उद्देश्यों की अभिपूर्ति हेतु इस कार्यों को करने में सहयोग करते रहेंगे —

उपरोक्त ट्रस्ट का मुख्यालय ग्राम व पो० बिलासपुर पोस्ट [illegible] परगना [illegible] तहसील [illegible] जिला सुलतानपुर तथा कार्यकारिणी कार्यालय मकान नम्बर २५०६/१ निरालानगर सुलतानपुर होगा —

स्पर्श जनसेवा नामक ट्रस्ट में एक मुख्य प्रबन्ध ट्रस्टी व दो सहायक ट्रस्टी होंगे मुख्य प्रबंध ट्रस्टी संस्थान के संस्थापक होंगे कालान्तर में मुख्य प्रबंध ट्रस्टी संस्थापक के वंश का ही सुयोग्य व्यक्ति होगा अस्वस्थ अथवा मृत्यु स्वेच्छा से त्यागपत्र देने एवं ट्रस्ट के हित के विरुद्ध कार्य करने पर बहुमत के आधार पर व संस्थापक ट्रस्टी की सहमति से ट्रस्टी का परिवर्तन किया जा सकता है महत्वपूर्ण निर्णय बहुमत के आधार पर होंगे स्थापित ट्रस्ट

कैलाशी [illegible] तिवारी   [illegible] तिवारी

[illegible] तिवारी (सेवानिवृत्त)
उप निबंधक [illegible]

भारत | दस रुपए | TEN RUPEES | रु.10 | Rs.10 | INDIA NON JUDICIAL | भारत गैर न्यायिक

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 41AA 752234

अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु धन संग्रह देश-विदेश की आम जनता एवं संस्थाओं से चन्दे के रूप में एवं अनुदान के रूप में करेगा किसी भी प्रकार की भूमि व भवन व अन्य प्रकार का दान/परन्तु संस्था के हित में हो सकता है — ट्रस्ट सदैव सम्पत्ति का पारदर्शी हिसाब रखेगा तथा विधिक अधिकार प्राप्त लोगों से उसकी जांच करायेगा उक्त ट्रस्ट की धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक या डाकघर इत्यादि में जमा की जा सकती है तथा उक्त धनराशि आवश्यकतानुसार संस्थापक ट्रस्टी व किसी अन्य — सहायक ट्रस्टी के संयुक्त हस्ताक्षर से निकाली जायेगी ट्रस्ट की सम्पत्ति को व्यक्तिगत प्रयोग में नहीं लाया जा सकेगा सहायक ट्रस्टी की संख्या दो होगी ——

1- श्रीमती आशा देवी पत्नी श्री उदयभान द्विवेदी निवासिनी - मकान नं० 280 ई/1 [illegible] नगर सुलतानपुर ——

2- अश्वनी कुमार द्विवेदी पुत्र श्री उदयभान द्विवेदी निवासी मकान नं० 280-ई/1 [illegible] नगर सुलतानपुर ——

दस रुपये रु. 10 TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

-6 APR 2008

इस ट्रस्ट की बैठक प्रतिवर्ष कम से कम एक बार अनिवार्य रूप से होगी तथा आवश्यकतानुसार प्रबंध ट्रस्टी द्वारा सभी सम्बन्धित ट्रस्टियों को दस दिन पूर्व सूचना देकर कभी भी बैठक आहूत की जा सकती है —

यह ट्रस्ट अपने को विभिन्न सम्बन्धित विभागों में आवश्यकतानुसार पंजीकृत करायेगा ——

इस ट्रस्ट को मुख्यालय/कार्यालय तथा सम्बन्धित अन्य भवन हेतु भूमि / भवन क्रय करने व किराये पर लेने का अधिकार होगा तथा ट्रस्ट के उत्थान हेतु अन्य वैधानिक संसाधन जुटा लेने का अधिकार होगा यह ट्रस्ट अपने मूल उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु साहित्य प्रकाशन व वितरण करने का पूर्ण अधिकारी होगा ट्रस्ट अपने यहाँ कर्मचारी नियुक्त करने तथा उन्हें पारिश्रमिक देने व अपने मूल उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सम्पूर्ण विश्व में कार्य करने के लिए अधिकृत होगा। किसी भी नये ट्रस्टी की नियुक्ति

[illegible signature]

[illegible signature]

भारतीय न्यायिक

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA ... CIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 41AA 292236

संस्थापक ट्रस्टी की ओर से किसी सुयोग्य व्यक्ति
को उसकी ट्रस्ट के प्रति भावना को देखकर की
जा सकती है स्वामी [illegible] सेवा ट्रस्ट ग्राम गोपीनाथपुर
पोस्ट बरुआ परगना [illegible] तहसील लम्भुआ जिला
सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश की ओर से मैं ईश्वरी कुमार
द्विवेदी सुत श्री उदय [illegible] द्विवेदी निवासी ग्राम गोपीनाथपुर
पोस्ट बरुआ संस्थापक/ संरक्षक ट्रस्टी की हैसियत
से अपनी पूर्ण स्वस्थ मन बुद्धि की दशा में प्रसन्नता
पूर्वक यह वसीयतनामा लिख दिया कि प्रमाण रहे तथा
समय पर काम आवे

तारीख तहरीर — 02 [illegible]-2008 ई०
लेखक— देवेन्द्र कुमार सिंह एडवोकेट रजि० संख्या
U.P. 11266/2000 तहसील लम्भुआ सुलतानपुर

ईश्वरी कुमार द्विवेदी

ईश्वरी कुमार द्विवेदी

[illegible] तिवारी (स्टाम्प वेंडर)

विक्रेता एवं क्रेता के अंगुलियों के निशान

नाम .... विक्रेता प्रथम पक्ष

	अंगूठा	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठिका
दायाँ हाथ					
बायाँ हाथ					

नाम .... क्रेता द्वितीय पक्ष

	अंगूठा	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठिका
दायाँ हाथ					
बायाँ हाथ					

संजय कुमार दुबे   मनोज कुमार मिश्रा

एस० के० तिवारी (...)
उप निबंधक ...